

कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

//आदेश//

क्र./ ४१५ /स्था./अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/आदेश/2020/

बेमेतरा, दिनांक 25.10.2020

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 23-08/2020/20-3/7 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 के द्वारा दिये गये पद के अनुसार शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बेमेतरा में निम्नांकित पदों का संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बेमेतरा में दिनांक 09.11.2020 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं निर्धारित तिथि के बाद आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	आरक्षण का संवर्ग	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पता
1	2	3	4	5	6	7
1	व्याख्याता गणित	अंजूलता राठौर	चंद्रकांत साहू	अनारक्षित	38100	एम/310 विकास नगर कुरामुन्दा जिला कोरवा
2	शिक्षक हिन्दी/संस्कृत	अविनाश यादव	निलाम्बर यादव	अनारक्षित	35400	प्रधान पाली गेराभाठा पो. रसोड़ जिला महाराजपुर
3	शिक्षक गणित	नीतू सोनी	उज्वल सोनी	अनारक्षित	35400	भरत किराना स्टोर के पास, गणपति न्यू चंगोरा भाठा रायपुर
4	सहायक शिक्षक विज्ञान (गणित)	अनुज कुमार द्विवेदी	रामायण प्रसाद द्विवेदी	अनारक्षित	25300	ग्राम व पोस्ट गुरमुन्दा थाना नन्दनीगनगर तह. धमधा जिला दुर्ग
5	प्रयोग शाला सहायक	प्रियंका राजपूत	रामसिंग राजपूत	अनारक्षित	25300	हाउस नं. 136/1 वार्ड 5कचहरी पारा बेमेतरा
6	प्रयोग शाला सहायक	जसवंत सिंह	कुलवीर सिंह	अनारक्षित	25300	क्वाटर न. 3/बी, 8140 सेक्टर 6 भिलाई जिला दुर्ग
7	प्रयोग शाला सहायक	अंजू रावटे	निर्भय लाल रावटे	अनु.जनजाति	25300	विमलेश्वरी कालोनी वार्ड क. 52 नर नारायण मंदिर के पास बोरसी दुर्ग

9

शते -

1. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
2. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनो के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे।
4. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
5. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं/प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
6. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेंगे।
7. भवधि में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. आपका कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको पदच्युत किया जा सकेगा।
9. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पदों पर प्रथम बार तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि एक बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति का नवीनीकरण का निर्णय ले सकेंगे।
10. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

कलेक्टर

जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.क्र./ 896 /स्था./अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/आदेश/2020/

बेमेतरा, दिनांक 28/10/2020

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छ.ग. शासन रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर शंकर नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बेमेतरा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ।
10. प्राचार्य, शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय बेमेतरा को सूचनार्थ।
11. समस्त चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अंग्रेषित।

कलेक्टर

जिला बेमेतरा (छ.ग.)